ग) दलित के हक संरक्षण आ हित प्रर्वधनके लेल स्थानिय तहमे देखल गेल अडचनसब निराकरण केनाई

घ) दलितसब उपर होमयवाला भेदभाव विरुद्धके कानून कार्यान्वयन कर सहयोग केनाई, करेनाई ।

ङ) दलितके हक संरक्षण आ हित प्रवर्धनके लेल राष्ट्रिय स्तरम करपरेवाला कामके लेल राष्ट्रिय समन्वय समितिक रिपोर्टिङ्ग तथा पृष्टपोषण केनाई ।

च) जिल्ला पुलिस कार्यालय आ इलाका पुलिस कार्यालयमे दलितक हक संरक्षण आ हित प्रर्वधनके लेल अलग डेस्क स्थापना कैरक व्यवस्था मिलेनाई ।

छ) सम्वन्धित जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका आ गाँउपालिकासब दलितक हक संरक्षण आ हित प्रर्वधनक सम्वन्धम अपन अपन कार्यक्रम भितर संचालित गतिविधि सबक विषयम अगल अभिलेख राखनाई आ जिल्ला समन्वय समित समक्ष नियमित रुपम प्रतिवेदन दैक व्यवस्था मिलेनाई ।

ज) स्थानिय स्तरमा दलित हक संरक्षण आ हित प्रर्वधनकेलेल करपरवाला आवश्यक काम सब केनाई ।

नेपाल प्रहरी आ मानव अधिकार संरक्षण

प्रत्येक व्यक्तिक मानव अधिकार संरक्षणम पुलिसक महत्वपूर्ण भूमिका होयत अछि । नेपाल पुलिसक उदेश्य अनुसार पुलिसक सेवा कानूनि राजक अवधारणा अनुसार समाजम प्रभावकारी अपराध नियन्त्रण आ अनुसन्धानस शान्ती स्थापना केनाई आ मानव अधिकारक संरक्षण केनाई छि । समाजम सु व्यवस्था आ अपराध नियन्त्रण कर नियम कानूनक पालन करनाई करेनाई पुलिसक दायित्व होयत अछि । नेपाल पुलिस कानूनमे भेल व्यवस्थाक सम्मान कैर आ ओकर पूर्णत लागु कैरके नागरिकक मानव अधिकार संरक्षण करैत अछि । उदाहरणके लेल कोनो व्यक्तिक अनुसंधानके लेल प्रक्राउ करस पहिने प्रक्राउ पुर्जी देखाक प्रक्राउ केनाई कानूनके सम्मान छि त कोनो जातीय भेदभाव आ छुवाछूत, डाईनजोगिनके आरोपमे होमवाला हिंसा या घरेलु हिंसा जोका अपराधमे पिडितक न्यायक लेल जाहेरी दर्खास्त दै काल तत्काल दर्ता कैर प्रक्रिया आगु बढेनाई कानूनक कार्यान्वयन छि । कानूनक दृष्टिम सब समान होयत अछि कहेवाला मान्यताक पुलिसक आत्मसात कर परत ।

नेपाल पुलिस मानव अधिकार ईकाई

पुलिसक मानव अधिकार उपरक जवाफदेहिता सुनिश्चित कर आ मानव अधिकारक संरक्षण आ प्रर्वधनक लेल विशेष काम कर वि.स. २०५९ माघ २ गते नेपाल पुलिस मानव अधिकार ईकाई गठन भेल छल । केन्द्रसँ लके हरेक जिल्ला, अन्चल आ क्षेत्रिय पुलिस कार्यालय सबम मानव अधिकार ईकाई रहवाक व्यवस्था समेत कयालगेल अछि । कोनोभि पद आ परिस्थितिक नैदेख मानव अधिकार करवला सबक न्यायिक कटघरामे लाववाला काम यी ईकाई अपन प्राथमिकताक रुपम राखने अछि ।

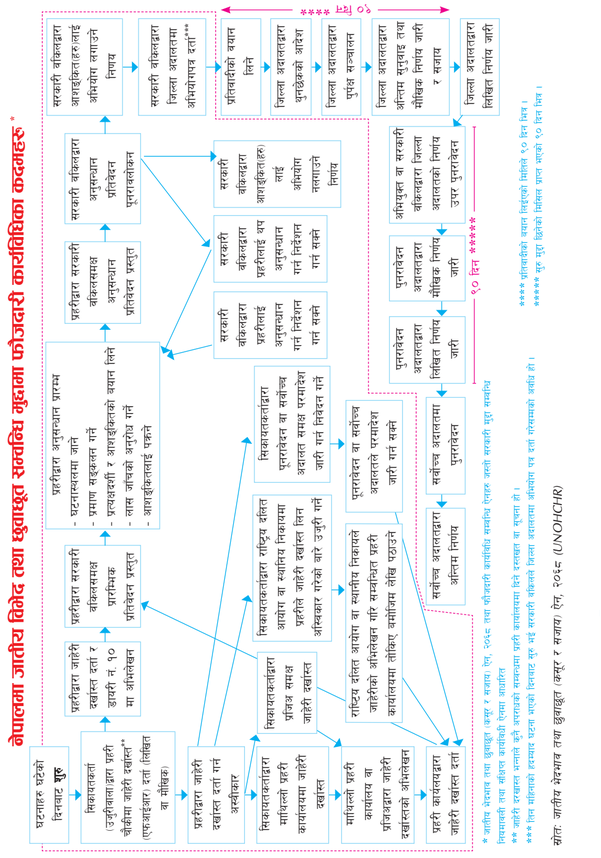

नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत सम्बन्धि मुद्दामा फौजदारी कार्यविधिका कदमहरु

मानव अधिकार र आत्मसम्मानका लागि सामुहिक आवाज परियोजना

जाहेरी दर्खास्त :

सरकारी मुद्धा सम्वन्धके ऐन २०४९ क अनुसूचि १म उल्लेख भेल अनुसार कानोभि अपराध कनोकतो भेल या भरहल या होम लागल अछि त पता पावैवाला व्यक्ति मध्ये कियो अपराधक जाहेरी दर्खास्त दिय सकैत अछि ।

सरकारवादी मुद्धा होयवाला अपराधम पिडितक न्यायकलेल पुलिसम जाहेरी दर्खास्त देहलाक वाद न्याय देवाक प्रक्रिया सुरु होयत अछि । घटना भेलाके वाद पिडित या ओहि बराबरक जानकारी राखवला व्यक्ति पुलिस चौकिम जाहेरी दर्खास्त देय परत अछि । पुलिस जाहेरी दर्खास्तक डायरी न. १० मे अभिलेख राखलाक वाद अनुसंधान प्रक्रिया सुरु करैत अछि । पुलिस अनुसंधान सहितक प्रतिवेदन सरकारी वकिलक कार्यालयम पेश केलाक वाद सरकारी वकिल अदालतम अभियोग पत्र दर्ता करैत अछि । ओही अनुसार अदालतम प्रतिवादीके बयान, थुनछेक आदेश, पूर्पक्ष करनाई, सुनवाई तथा अदालतक निर्णय आ फैसला जोका कारवाहीसब होयत अछि ।

पुलिस करेवाला अनुसंधान पूर्ण आ निश्पक्ष रुपस केलाम पिडित न्याय पावक संम्भावना वेशी होयत अछि । यहिके लेल पुलिसक पूर्ण सुचना आ प्रमाण उपलब्ध करवानाई दिक्कद नहि मानना चाहि । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, घरेलु हिंसा, डाईन जोगिन आरोपम होयवाला हिंसा लगायतके अपराधसब सरकारवादी मुद्धा छि । यहिम सरकारक पिडित पक्षसँ मुद्धा लड परैत अछि ।

पुलिसक सुचना देनाई

पुलिस सेवा लेवाक लेल नागरिकक पुलिसक उजुरी केनाई आ सुचना देव परैत अछि । कोनो समस्याम फसलापर या कोई डर धम्की दरहल अवस्थामे सहायताकलेल नजिकक पुलिसक सम्पर्क कैर सकै छि । १०० म फोन कैर सेहो पुलिसक ऐहन बातसबक जानकारी करा सकै छि । पुलिसक सम्पर्क करेवाला टोल फ्रि न.१६६००१४१५१६. छि । यी नम्बरम फोन केला पर कानो पैसा नै लगैत अछि । प्रत्येक जिल्लाक पुलिस कार्यालय सबके सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक जानकारीमे समेत राखल रहेत अछि ।

मानव अधिकार संरक्षण सम्वन्धि महत्वपूर्ण केही निकायहरूको सम्पर्क

राष्ट्रिय दलित आयोग
जावलाखेल, ललितपुर, काठमाडौं
फोन: ०१-५५३११४८
फ्याक्स: ०१-५५३११४८
ईमेल: **info@ndc.gov.np**

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
पुल्चोक, ललितपुर, काठमाडौं
फोन: ०१-५०१००१५
फ्याक्स: ०१-५५४७९७३
ईमेल: **nhrc@nhrcnepal.org**

राष्ट्रिय महिला आयोग
भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौं
फोन: ०१-४२५६७०१
फ्याक्स: ०१-४२५०२४६
ईमेल: **info@nwc.gov.np**

नेपाल प्रहरी मानव अधिकार इकाई
नक्शाल काठमाडौं
फोन: ०१-४४११६१८
फ्याक्स: ०१-४४१५५९३
ईमेल: **hrcell@nepalpolice.gov.np**

प्रकाशक

मधेशी दलित विकास महासंघ
क्षेत्रीय कार्यालय, सप्तरी
फोन: ०३१-५२३३६६५
फ्याक्स:०३१-५२३३६६५
mddfk2062@gmail.com

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क
कैलाली, धनगढी
फोन: ०९१-५२०६०४
फ्याक्स:०९१-५२०६०४
rdnnepal@yahoo.com

जागरण मिडिया सेन्टर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
फोन: ०१-५१७२८५१
फ्याक्स: ०१-५१७२६९७
info@jagaranmedia.org.np

समता फाउण्डेशन
सानेपा-२, ललितपुर
फोन: ०१-५५२०८५१
फ्याक्स: ०१-५५५४७५२
info@samatafoundation.org

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ
बखुण्डोल, ललितपुर
फोन: ०१-५५३९९४१, ५५२३६९४
फ्याक्स: ०१-५५५४७५२
nndswo@wlink.com.np

URL: www.dalithumanrights.org.np

हार्दिक अपिल

सबकियोके मानव अधिकार आ आत्मसम्मानपूर्ण जिवाक लेल
घर घरमे मानव अधिकार आ समानताके बात क्यालजाए !
मानव अधिकारमैत्री समाज आ सँस्कृतिके विकास करलजाए !!

सबकियो जन्मसे अधिकार आ आत्मसम्मानमे स्वतन्त्र आ समान होयत अछि ।

मानव अधिकार केकरा कहैत अछि ?

मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्तिके जन्मसिद्ध अधिकार छि जे मानवके मानव भेएलाके नातासँ स्वत: प्राप्त होएत अछि। मानव अधिकार सबकियो के समानरुपमे उपभोग कर पावैके आ कियो किनको स छिन नै सकैबला अधिकार छि। रंग, जाईत, समुदाय, लिंग, सामाजिक उत्पती, धर्म, भाषा, राष्ट्रियता, उमेर, अपांगता या अन्य कोनो भि आधारमे विभेद रहित ढंगसँ मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्तिके लेल समानरुपस लागु होयत अछि। प्रत्येक व्यक्ति आत्मसम्मानके साथ जियबाक लेल, सबकियो सरह समान व्यवहार पावैक लेल, बिचार आ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पावैक लेल, अपनाके असर परैवाला विषयके निर्णय करवाक प्रक्रियामे सहभागी होव पावैके लेल, पोषिलो खानपिन पेटभैर खाइला पावाक लेल, कमस कम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य आ निशुल्क पावाक लेल, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पावाक लेल, पेशा आ रोजगारी छनौट करवाक लेल, स्वतन्त्रता, इत्यादी मानवके मानव अधिकार छि। मानव अधिकार अर्न्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानून सबस सुरक्षित करलगेल रहैत अछि। मानव अधिकारक परिपूर्ति नैभेल या हनन भैल अवस्थामे दावी कैरके प्राप्त कैर सकैछि।

नेपालक संविधानमे सबहक मानव अधिकारके लेल संकल्प

संविधान देशके मूल कानुन छि। संविधाने अनुसार आरो कानुन, नियम या निति बनैतअछि। देशके नागरिकके हक अधिकार सब संविधानमे व्यवस्था करलगेल रहैत अछि। विक्रम संम्वत २०७२ आसिन ३ गते जारि भैल नेपालके संविधान सेहो धारा १६ स ४६ धरिके ३१ गोट धारामे नागरिकके मौलिकहकके व्यवस्था करने छल। नेपालके संविधानमे ३५ भाग, ३०८ धारा आ ९ अनुसुची रहल अछि। ऐ संविधानके प्रस्तावनामे निम्न संकल्प सब करलगैल अछि :

- ❑ राज्य व्यवस्थाके सिर्जना करल सब किसिमके विभेद आ उत्पिडनके अन्त्य
- ❑ विविधता बिचके एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक एक्यबद्धता, सहिष्णुता आ सद्भावके संरक्षण एवं प्रर्वधन
- ❑ वर्गीय, जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद आ सब किसिमके जातिय छुवाछूतके अन्त्य
- ❑ आर्थिक समानता, संमृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करवाके लेल समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामुलक सिद्धान्तके आधारमे समतामुलक समाजके निर्माण

नागरिकके कर्तव्यसब

अधिकार आ कर्तव्य एकटा सिक्काके दूईटा भाग छि। नागरिकके मानव अधिकारके सम्मान, संरक्षण आ संम्वर्धन करवाक जिम्मेवारी राज्य आ एकर जिम्मेवार संस्था सबके छि। जहिना राज्य अपन हरेक नागरिक सबके आत्मसम्मानपूर्ण जिवन प्राप्त करवाक वातावण सिर्जना करवाकलेल जिम्मेवार रहेत अछि तहिना हरेक व्यक्तिके अपन नागरिक कर्तव्य सब पूरा करवाक जरुरी अछि। नेपालके संविधानके धारा ४८ मे व्यवस्था करलगेल नागरिक कर्तव्य सब ४ टा अछि :

क) राष्ट प्रति निष्ठावान भके नेपालके राष्टियता, सार्वभौमसत्ता आ अखण्डताके रक्षा करनाई।
ख) संविधान आ कानूनके पालन करनाई।
ग) राज्यके जरुरी परल समयमे अनिवार्य सेवा करनाई।
घ) सार्वजनिाक सम्पतीके सुरक्षा आ संरक्षण करनाई।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वि.स. २०५७ साल जेष्ठ १३ गते स्थापना भेल छल। संविधानके भाग २५ के धारा २४८ आ २४९ मे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्वन्धि व्यवस्था करलगैल अछि। ऐ आयोगमे अध्यक्ष आ ४ सदस्य सहित ५ गोट, ६ वर्षके लेल नियुक्त होइत अछि। नेपालके मानव अधिकारके सम्मान, संरक्षण आ संम्वर्धन तथा ताहिके प्रभावकारी कार्यान्वयनके सुनिश्चिता करनाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगके कर्तव्य छि।

"सवहक लेल घर घरमे मानव अधिकार के मूलमर्मके आत्मसात करैत याहँ शान्ती आ विकासके आधार छि" मान्यताके साथ मानव अधिकार संस्कृतिके विकास करवाक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगके दुर दृष्टि रहल अछि।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाके कार्यान्वयन अवस्थाके स्वतन्त्ररुपमे अनुगमन करैत अछि। कोनोभि नागरिकके अपन अधिककारके हनन भेलापर आयोगमे उजुरी कर सकैत अछि। आयोग मानव अधिकारके उल्लंघनके घटनामे अनुसंधान करनाई, पिडितके उद्धार करनाई, पिडितके कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति देवाक जेहन अधिकार प्रयोग कर सकैत अछि। मानव अधिकार आयोग अन्य आयोग सबसँ मिलके काम करैत अछि। सब किसिमके मानव अधिकार उल्लंघनमे यी आयोग काम कर सकैत अछि। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगके केन्द्रिय कार्यालय हरिहर भवन ललितपुरमे अछि। हाल एकर ५ गोट क्षेत्रिय कार्यालय आ उपक्षेत्रिय कार्यालय सब सेहो रहल अछि।

राष्ट्रिय दलित आयोग

राष्ट्रिय दलित आयोगके स्थापना वि.स. २०५८ साल चैत ६ गते भेल छल। दलित समुदायके हक, अधिकार संरक्षण आ प्रर्वधन तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतके अन्त्यके लेल काज करवाक लेल राष्ट्रिय दलित आयोगके स्थापना भेल अछि। नेपालके संविधान अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक आयोग छि। संविधानके धारा २५६ मे राष्ट्रिय दलित आयोग संम्वन्धि व्यवस्था करलगेल अछि। आयोगमे अध्यक्ष आ ४ गोट सदस्य ६ वर्षके लेल नियुक्त होवाक व्यवस्था अछि।

जातीय छुवाछूत, उत्पिडन आ विभेदके अन्त्यके लेल राष्ट्रिय निति तथा कार्यक्रमके तर्जुमा कैर कार्यान्वयनके लेल नेपाल सरकार समक्ष पेश करवाक आ दलित समुदायकके अधिकारसँ सम्वन्धित कानूनके प्रभावकारी कार्यान्वयन भेल या नैभेल अनुगमन कैर नेपाल सरकारके सुझाव पेश करवाक सहितके काम क राष्ट्रिय दलित आयोगके मुख्य कामके रुपमे संविधानमे व्यवस्था करलगेल अछि। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ के कार्यान्वयनके लेल सेहो सेहो राष्ट्रिय दलित आयोगके महत्वपूर्ण भूमिका अछि। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतके घटनाके पिडितके उजुरी प्रहरी नैलेला मे दलित आयोग मार्फत सेहो उजुरी कैर पिडित व्यक्ति न्याय खोइज सकैत अछि।

राष्ट्रिय दलित आयोगके कार्यालय हाल जावलाखेल ललितपुरमे अछि। संविधान अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोग अपन आवश्यकता अनुसार प्रदेशमे समेत अपन कार्यालय स्थापना करसकैत अछि।

राष्ट्रिय महिला आयोग

राष्ट्रिय महिला आयोगके स्थापना वि.स. २०५८ साल फाल्गुण २३ गते भेल छल। महिलाके अधिकार आ हितके संरक्षण आ प्रर्वधन कैर वो सबक विकासके मूल प्रवाहमे प्रभावकारी रुपस समावेश केनाई एकर मूल उदेश्य रहल अछि। नेपालक संविधानके धारा २५३ मे राष्ट्रिय महिला आयोग सम्वन्धि व्यवस्था क्यालगेल अछि। महिला सबके हक हितसँ सरोकार राखैबला निति आ कार्यक्रम सबके तर्जुमा कैर कार्यान्वयन करकलेल नेपाल सरकार समक्ष पेश केनाई, महिला हक हितस जुडल कानून या नेपाल पक्षस भेल अर्न्तराष्टिय सन्धी सम्झौता अन्तर्गतके बात कार्यान्वयन भेल या नैभेल तै विषयमे छानविन कैर ओकर प्रभावकारी पालन या कार्यान्वयन के उपाय सहित नेपाल सरकारक सुझाव देनाई जोका काम महिला आयोग के करपरैत अछि।

मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कि छि ?

नेपाल मानव अधिकारके सम्मान, संरक्षण आ प्रर्वधन करक लेल राष्टिय तथा अर्न्तराष्ट्रिय तहमे केने प्रतिवद्धता सवहक कार्यान्वयन करकलेल आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ स मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाक कार्यान्वयन कर लागल अछि। वर्तमानमे चारिम राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ.व. ७१/०२) स (०७५/०७६) कार्यान्वयनमे रहल अछि। राष्ट्रिय कार्ययोजना बनावबाला मुख्य निकाय प्रधानमन्त्रीके कार्यालय रहल अछि। मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना मानव अधिकारके संरक्षण आ प्रर्वधन कर क्रियाशिल सब सरकारी आ गैर सरकारी निकाय सबक लेल सेहो मार्ग निर्देश करैत अछि। चारिम राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनाक विशेष उदेश्य निम्न बमोजिम रहल अछि :

१. मानव अधिकार प्रतिके प्रतिवद्धताक व्यवहारिक रुपस सुनिश्चित केनाइ
२. राष्ट्रिय आ अर्न्तराष्ट्रिय जिम्मेवारी कार्यान्वयन केनाई
३. मानव अधिकारके विकासक मुद्धा सबस संरचनागत आ कार्यात्मक रुपस जोडनाई
४. मानव अधिकार संस्कृतिके विकास केनाई

राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनामे आम नेपाली जनताक मानव अधिकार संरक्षण आ प्रर्वधन कर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, मानव अधिकार शिक्षा, समावेशी विकास, सामाजिक सेवा आ सुरक्षा लगायतक १८ टा विषय तथा क्षेत्र सब पहिचान केनाई अछि।

जिल्ला स्तरम यहि कार्ययोजनाक कार्यान्वयन आ समन्वयक लेल प्रमुख जिल्ला अधिकारीके नेतृत्वम मानव अधिकार "राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला स्तरिय समन्वय तथा कार्यान्वयन समिति" रहबाक व्यवस्था अछि। समितिके बैठक प्रत्येक ३ महिनामे होम परैत अछि। ओ समितिक प्रत्येक ३ महिनाम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्के कार्यालयम प्रतिवेदन बुझाव परैत अछि।

जातीय भेदभाव आ छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रर्वधन समन्धि कार्य विधि, २०७३

नेपाल सरकार जातीय भेदभाव आ छुवाछूत अन्त तथा दलित अधिकार प्रर्वधन सम्वन्धि कार्यविधि २०७३ जारी केनाई अछि। यी कार्यविधि नेपाल अनुमोदन केने जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्वन्धि अर्न्तराष्ट्रिय महासन्धी १९६५, नेपाल संविधानक धारा २४ म उल्लेख क्यालगेल छुवाछूत आ भेदभाव विरुद्धके मौलिक हक तथा जातीय भेदभाव आ छुवाछूत (कसूर आ सजाय) ऐन २०६८ क मर्म अनुरुप जारी भेल अछि। यी कार्यविधि जातीय भेदभाव आ छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार अधिकार प्रर्वधनक लेल उच्च स्तरिय तथा सर्व पक्षिय सहभागीता वढाव प्रयास केने अछि। यी जातीय भेदभाव आ छुवाछूत अन्त तथा दलित अधिकार प्रर्वधनक लेल केन्द्रसँ लके स्थानिय स्तर तक संयन्त्र सब बनेनाई आ ओ संयन्त्र सब क काम, कर्तव आ अधिकार सब प्रष्ट केनाई अछि। केन्द्र स्तरम प्रधानमन्त्रीक नेतृत्वम एक उच्च स्तरिय समिति रहल अछि। यी समिति जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त करकलेल नितिगत विषयम उच्च स्तरिय समितिक सल्लाह आ सुझाव देनाई, कार्य योजना अनुगमन तथा मुल्याकन केनाई संगे जिल्ला समन्वय समिति तथा सम्वन्धित निकायक आवश्यक निर्देशन प्रदान केनाई जोका महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर परैत अछि।

जिल्ला स्तरके संयन्त्रके रुपम प्रमुख जिल्ला अधिकारीक नेतृत्वम जिल्ला समन्वय समिति गठन होयत अछि। याह म स्थानिय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्ला सरकारी वकिल, महिला विकास अधिकृत, नेपाल बार ऐशोशियसनक जिल्ला अध्यक्ष, नेतृत्वकर्ताद्धारा मनोनित जिल्लाक दलित अधिकार तथा समाजिक क्षेत्रमे क्रियाशिल संघसंस्थाक प्रमुख सबमेसँ कमसेकम ३ गोट महिला सहित ५ टा सदस्य रहल व्यवस्था क्यालगेल अछि। संगे यहि म जिल्ला विकास समितिके योजना अधिकृत सदस्य सचिव रहबला व्यवस्था अछि।

जातीय भेदभाव आ छुवाछूत अन्त तथा दलित अधिकार प्रर्वधन सम्वन्धके कार्यविधि २०७३ क दफा ५.२ क अनुरुप जिल्ला समन्वय समितिक काम, कर्तव्य आ अधिकार सब यहि प्रकार देल गेल अछि।

क) दलिततके हक संरक्षण आ हित प्रर्वधनके लेल जिल्लामे संचालित कार्यक्रमक प्रभावकारी कार्यान्वयनके लेल आवश्यक सहयोग, सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमन केनाई।
ख) दलित के हक संरक्षण आ हित प्रर्वधनके लेल स्थानिय स्तरमे प्रचार प्रशार आ पैरवी केनाई।